राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 770/2014/आबकारी/अलवर................ जिला ....अलवर...

उनवान : राशिद पुत्र साबिर अली पुत्र नजर अली बनाम आयुक्त आबकारी, राजस्थान, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/03/2015	**खण्डपीठ** **श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री हरीश त्रिपाठी एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा उपस्थित। अपील की ग्राहयता के बिन्दु पर उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। अपील प्रार्थना पत्र के साथ विवादित मांग राशि रूपये 7,00,000/– की 75 प्रतिशत राशि रूपये 5,25,000/– जमा का चालान संलग्न है। अपील प्रथम दृष्टया श्रवण योग्य पाये जाने के कारण श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। उभयपक्ष की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन करने के उपरान्त प्रकरण में बकाया राशि के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से स्थगन प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित पक्षों को जारी की जावे। मिसल वास्ते सुनवाई दिनांक 18/05/2015 को खण्डपीठ के समक्ष पेश हो। पक्षकारों को सूचित किया जावे। 10.03.2015 **सदस्य** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर** **अध्यक्ष** **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर**	